संख्या-6/2021/253 /78-2-2021-108आई.टी./2017

प्रेषक,

बराती लाल,
संयुक्त सचिव,
उ0 प्र0 शासन।

सेवा में,

उद्योग निदेशक,
कानपुर, उ0प्र0।

आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स अनु0-2 लखनऊ: दिनांक: 11 फरवरी,2021

विषय: आईटी एवं इले0 विभाग उ0प्र0 हेतु आईटी विजन एवं ई-गवर्नेन्स रोड मैप तैयार करने हेतु परामर्शी संस्था को द्वितीय माइलस्टोन की धनराशि का भुगतान किये जाने हेतु रू0-23.30 लाख की वित्तीय स्वीकृति पुनर्विनियोग के माध्यम से निर्गत किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उप महाप्रबन्धक, यूपीएलसी के पत्र संख्या-यूपीएलसी: आईटी विजन:2019-20 दिनांक 20-01-2021 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आईटी एवं इले0 विभाग उ0प्र0 हेतु आईटी विजन एवं ई-गवर्नेन्स रोड मैप तैयार करने हेतु परामर्शी संस्था को द्वितीय माइलस्टोन की धनराशि के भुगतान हेतु पुनर्विनियोग के माध्यम से (संलग्न बीएम-9 प्रपत्र के अनुसार) कुल धनराशि रू0 23.30 लाख (तेइस लाख तीस हजार मात्र) की निम्नलिखित शर्तो के अधीन वित्तीय स्वीकृति निर्गत करते हुए आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदया सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती है:-

1. उद्योग निदेशक द्वारा वित्त विभाग के आदेश संख्या-बी-1-417/10-2013-16/94, दिनांक 26 फरवरी, 2013 में दी गयी प्रक्रियानुसार सेंट्रल सर्वर के माध्यम से सम्बन्धित कोषागार को बजट आवंटन भेजे जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।
2. उक्त स्वीकृत धनराशि के आहरण हेतु वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5,भाग-1 के प्रपत्र संख्या-6(ए) (संशोधित) द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर प्रबंध निदेशक,यूपीएलसी द्वारा बिल बनाकर उसे संयुक्त निदेशक, उद्योग, लखनऊ मण्डल लखनऊ को प्रतिहस्ताक्षर हेतु प्रस्तुत किया जायेगा।
3. उक्त धनराशि का लेखा-जोखा उद्योग निदेशक, कानपुर द्वारा अपने यहां भी रखा जायेगा।
4. बचत की धनराशि एवं व्यय की जाने वाली धनराशि का औचित्य प्रबन्ध निदेशक यूपीएलसी द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
5. जिस मद से पुनर्विनियोग किया जा रहा है उसमे अतिरिक्त धनराशि की मांग नहीं की जायेगी।
6. जिस प्रयोजन हेतु धनराशि की मांग की जा रही है, उसी मद में आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी।
7. इस धनराशि का आहरण वास्तविक आवश्यकता होने पर राजकोष से किया जायेगा।
8. जिस मद में पुनर्विनियोग किया जा रहा है, उसका सदुपयोग इसी वित्तीय वर्ष मे कर लिया जायेगा।
9. स्वीकृति धनराशि व्यय किये जाने से पूर्व प्रबन्ध निदेशक, यूपीएलसी द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 24-3-2020, 07-04-2020, 11-04-2020 व 18-05-2020 द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

10. उक्त स्वीकृत धनराशि के व्यय उपरान्त प्रबन्ध निदेशक, यूपीएलसी द्वारा उपयोगिता प्रमाण-पत्र महालेखाकार,उ0प्र0 इलाहाबाद उद्योग निदेशक,कानपुर तथा आईटी एवं इले0 अनुभाग-2 उ0प्र0 शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।
11. यह धनराशि सीधे जिस संस्था को भुगतान किया जाना है उसके खाते में ट्रांसफर की जायेगी।
12. इसे यू0पी0 एल0सी0 के बैंक खाते में रखे जाने हेतु उपलब्ध नहीं कराया जायेगा।
13. उक्त धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक अनुदान संख्या-7 उद्योग(भारी मध्यम उद्योग) के अन्तर्गत लेखा शीर्ष 2220–सूचना तथा प्रचार -60-अन्य-800-अन्य व्यय-03 व्यापार मेलों आदि में प्रतिभाग / प्रस्तुतीकरण समाचार पत्रों से प्रचार एवं प्रसार -42 -अन्य व्यय में प्राविधानित धनराशि रू0 50.00 लाख से हो रही बचतो से अनुदान संख्या-7 उद्योग(भारी मध्यम उद्योग)के अन्तर्गत लेखा शीर्ष 2852–उद्योग-07- दूर संचार तथा इलेक्ट्रानिक्स-202-इलेक्ट्रानिक्स-15- सूचना प्रौद्योगिकी नीति 2012 हेतु नीति कार्यान्वयन इकाई का गठन -16- व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान में पुनर्विनियोग कर (संलग्न प्रपत्र बीएम-9 के अनुसार) वहन की जायेगी।

संलग्नक यथोक्त

भवदीय,
बराती लाल
संयुक्त सचिव

संख्या- **6/2021/**(1)253/78-2-2021 तददिनांक।

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकर (लेखा परीक्षा),प्रथम एवं द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2. निदेशक, कोषागार, जवाहर भवन लखनऊ।
3. निदेशक, वित्तीय सांख्यकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
4. मुख्य कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट, लखनऊ, उ0प्र0।
5. संयुक्त निदेशक, उद्योग, लखनऊ मण्डल, लखनऊ।
6. प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0 इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लि0,लखनऊ।
7. निदेशक, वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, 125 जवाहर भवन, लखनऊ।
8. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6/नियोजन अनु0-4 ।
9. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम अनु0-3/औद्योगिक विकास अनु0-2।
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
बराती लाल
संयुक्त सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

11फार्म-बी.एम.-9 (भाग-1)

पुनर्विनियोग की स्वीकृति के लिए आवेदन

(संदर्भः बजट मैनुअल का प्रस्तर-158 देखें)

(इस प्रपत्र को भरने से पूर्व पीछे छपे अनुदेशों को भली भॉति देख लिया जाये)

अनुदान संख्या व नामः 007 उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग) वित्तीय वर्षः 2020-21 धनराशि लाख में ।

निम्नलिखित निधियों से प्रस्तावित संक्रमण			वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा		
लेखाशीर्ष (15डिजिट कोड में) आयोजनागत/ आयोजनेत्तर	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान/ विनियोग	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत	संक्रमित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पश्चात शेष अनुदान/ विनियोग (2-5)
1	2	3	4	5	6
2220–सूचना तथा प्रचार -60-अन्य-800- अन्य व्यय-03 व्यापार मेलों आदि में प्रतिभाग / प्रस्तुतीकरण समाचार पत्रों से प्रचार एवं प्रसार -42 -अन्य व्यय	50.00	50.00	23.30	23.30	26.70

निम्नलिखित निधियों में प्रस्तावित संक्रमण			वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा		
लेखाशीर्ष (15 डिजिट कोड में) आयोजनागत/ आयोजनेत्तर	वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध अनुदान / विनियोग	वित्तीय वर्ष में प्रत्याशित कुल व्यय	संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि (9-8)	वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संक्रमण की धनराशि	संक्रमण के पश्चात उपलब्ध अनुदान / विनियोग (8+11)
7	8	9	10	11	12
2852–उद्योग-07- दूर संचार तथा इलेक्ट्रानिक्स-202-इलेक्ट्रानिक्स-15- सूचना प्रौद्योगिकी नीति 2012 हेतु नीति कार्यान्वयन इकाई का गठन -16- व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान ।	1. 0.00	23.30	23.30	23.30	23.30

(1) स्तम्भ-3 में बचत का कारण निम्नानुसार हैः-

वर्तमान वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि रु. 50.00 लाख के व्यापार मेलों आदि में प्रतिभाग / प्रस्तुतीकरण समाचार पत्रों से प्रचार एवं प्रसार हेतु उपयोग हो पाने की क्षीण सम्भावना के दृष्टिगत उक्त सम्पूर्ण धनराशि की बचत सम्भावित है।

(2) स्तम्भ-8 में उल्लिखित उपलब्ध अनुदान के सापेक्ष स्तम्भ-9 में अंकित व्यय निम्नलिखित कारणों से हैः-

वित्तीय वर्ष-2020-21 के सुसंगत लेखा-शीर्ष 2852-उद्योग -15 सूचना प्रौद्योगिकी नीति-2012 हेतु नीति कार्यान्वयन ईकाई का गठन- 16 व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान मद में कोई प्राविधान नहीं हुआ है। जबकि आईटी विजन एवं ई-गवर्नेन्स रोड मैप तैयार किये जाने हेतु मै0 पीडब्लूसी प्रा0 लि0 को निविदा में उल्लिखित शर्तो के अनुसार द्वितीय माइल स्टोन हेतु प्रस्तुत इनवाइस के अनुसार कुल धनराशि रू0 2330500.00 का भुगतान किया जाना है ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुनर्विनियोग में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-150,151,154 व 155 में निर्दिष्ट प्रतिबन्धों/परिसीमाओं का उल्लंघन नही होता है।

1. प्रत्येक अनुदान/विनियोग के अन्तर्गत मतदेय और भारित व्यय से संबंधित पुनर्विनियोगों के लिए अलग-अलग आवेदन प्रस्तुत किये जाने चाहिए। भारित व्यय से सम्बन्धित प्रस्तावों में लेखाशीर्ष के साथ कोष्ठक में भारित अंकित कर दिया जाय।
2. जिन लेखाशीर्षो में प्रभाव पड़ेगा उनका वर्णन ब्योरेवार अनुमानों और अनुदानों में दिये गये वर्णन के अनुरूप होना चाहिए।
3. कालम-2 तथा 8 में मूल बजट प्रावधान, अनुपूरक प्रावधान और पुनर्विनियोगों की धनराशि, जो प्रस्तावित पुनर्विनियोग के दिनांक तक संबंधित लेखाशीर्ष के अंतर्गत यथाविधि स्वीकृत हुए हों, को सम्मिलित किया जाये।
4. प्रपत्र के कालम-5, 6 व 11, 12 में वित्त विभाग द्वारा स्वीकृत पुनर्विनियोग अंकित किया जायेगा।

संख्या:आर:ई 346 ई- /दस- 20- दिनांक 08-02-2021

सेवा में

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम
उ0प्र0, इलाहाबाद ।

नाम-
पदनाम-
आईटी एवं इले0 विभाग

नाम -
पदनाम-
वित्त विभाग

संख्या-
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

2. निदेशक, उद्योग कानपुर (नियंत्रक अधिकारी)
3. मुख्य/ वरिष्ठ कोषधिकारी, लखनऊ।
4. निदेशक वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, जवाहर भवन लखनऊ ।
5. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 (तीन प्रतियों में)

बराती लाल
संयुक्त सचिव
आईटी एवं इले0 विभाग

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।